न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27-7-.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 29.06.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 47 एफ 048935 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 15.05.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना का अधि./2020/349 दिनांक 14.07.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार –

1. बिन्दु सं. 01 में चाही गयी सूचना कार्यालय में संधारित नही होने से सूचना अदेय हैं तथा शेष सूचना के लिए कुल पृष्ठ संख्या 02 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी।
2. बिन्दु सं. 02 में चाही गयी सूचना में जांच विचाराधीन होने से सूचना अदेय हैं।
3. बिन्दु सं. 03 में चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ सं. 01 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी तथा शेष सूचना पत्रावली विचाराधीन होने से सूचना अदेय हैं।
4. बिन्दु सं. 04 में चाही गयी सूचना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ली गयी वीडियो कान्फ्रेसिंग में दिये गये मौखिक निर्देशों की प्रति चाही जो उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

5. बिन्दु सं. 05 की सूचना स्पष्ट नही होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं।
6. बिन्दु सं. 06 में चाही गयी सूचना में कोविड – 19 में दानदाताओं से प्राप्त राशि गोपनीयता की श्रेणी में आने के मध्येनजर एवं चाहे अनुसार व्यय संधारित नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 7(9) के तहत सूचना अदेय हैं तथा शेष सूचना सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा से संबंधित होने से कार्यालय के पत्रांक/246–47 दिनांक 20.05.2020 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ अपीलार्थी को दी गयी।
7. बिन्दु सं. 07 में चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ सं. 03 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी तथा शेष सूचना शून्य हैं।
8. बिन्दु सं. 08 में चाही गयी सूचना किस विषय में चाही गयी ? , का अंकन नही होने से दिया जाना संभव नहीं हैं।
9. बिन्दु सं. 09 में चाही गयी सूचना हेतु कुल पृष्ठ सं. 02 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के जवाब के प्रत्युत्तर में परिकथन पेश कर निवेदन किया कि अवशेष सूचनाओं की प्रति यथासम्भव उपलब्ध करावे।

अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.7.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा